

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग।

Email/
whats-app

कार्यालय आदेश

निदेशानुसार जमुई जिलान्तर्गत लघु खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, प्रेषण तथा भण्डारण से संबंधित मामले में जाँच हेतु प्रवर्तन पदाधिकारियों का दो दल गठन किया जाता है, जो निम्नवत् है:-

दल संख्या-1

क्र०	प्रवर्तन पदाधिकारी का नाम	पदस्थापन जिला
1	श्री रमता प्रसाद सिंह	वैशाली
2	श्री अब्दुल सत्तार सैफ	औरंगाबाद
3	श्री अली हुसैन मियाँ	रोहतास
4	श्री कृष्ण प्रकाश	जमुई
5	श्री सीताराम चौधरी	गया
6	श्री संजीव कुमार सिन्हा	नालंदा

दल संख्या-2

क्र०	प्रवर्तन पदाधिकारी का नाम	पदस्थापन जिला
1	श्री राजेन्द्र राम	भोजपुर
2	श्री गजेन्द्र प्रसाद सिंह	गोपालगंज
3	श्री उध्वजी सिंह	किशनगंज
4	श्री तेजनारायण शर्मा	बाँका
5	श्री इन्द्रदेव चौधरी	लखीसराय

2. निदेशित किया जाता है कि दल संख्या-1 दिनांक 01.10.18 से 06.10.18 तक तथा दल संख्या-2 दिनांक 07.10.18 से 12.10.18 तक जमुई जिलान्तर्गत अवैध उत्खनन, परिवहन, प्रेषण तथा भण्डारण की विस्तृत जाँच करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई (यथा-FIR, जप्ती, इत्यादि) करना सुनिश्चित करेंगे तथा कृत कार्रवाई संबंधी दैनिक प्रतिवेदन जाँचोंपरांत मुख्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

3. जाँच दल संबंधित जिला खनन कार्यालय से समन्वय स्थापित कर आवासन तथा आवश्यक प्रशासनिक सहयोग प्राप्त करेंगे।

4. श्री मनोज अम्बष्ट, खनिज विकास पदाधिकारी, लखीसराय जाँच दल-1 के तथा श्री उपेन्द्र कुमार पासवान, खनिज विकास पदाधिकारी, मुंगेर जाँच दल-2 के वरीय प्रभार में रहेंगे एवं ससमय प्रगति प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

5. उक्त जाँच दलों के लिए वाहन जिला खनन कार्यालय, जमुई, लखीसराय तथा मुंगेर से उपलब्ध कराया जायेगा।

ह0/-

(सुशील कुमार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-02/एम0एम0(बा0)-194/18-...../एम0, पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/संयुक्त सचिव कोषांग/ उप निदेशक (मु0)/सहायक निदेशक (मु0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-02/एम0एम0(बा0)-194/18-3853...../एम0, पटना, दिनांक29/9/18.....

प्रतिलिपि:-सभी संबंधित जिला खनन कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

^
29/9/18

सरकार के अवर सचिव
^